तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/829/2002/जयपुर सरकार बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य

उपस्थित–

श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, उपराजकीय अभिभाषक सरकार
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 01–12–2020

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जयपुर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 19–01–2002 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर जयपुर ने पत्र दिनांक 20–06–1986 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेफरेंस प्रार्थना पेश कर अंकन किया कि उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत भूमि खसरा संख्या 108 रकबा 4 बीघा जरिये नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 22–07–1972 के द्वारा सुमेरसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत से सिवायचक बहक राजस्थान सरकार बसिलसिले सीलिंग अधिग्रहण नायब तहसीलदार द्वारा किया गया। भूमि सीलिंग से अधिग्रहण की गई है। जिसका केवल खसरा जमाबंदी में सूरख स्याही से नोट लगाया जावे। सिवायचक दर्ज नहीं होगा अंकित किया गया है। यह भूमि सीलिंग सिवायचक रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु नायब तहसीलदार ने ‘‘सिवायचक दर्ज न होने का नोट अंकित किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/829/2002/जयपुर सरकार बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है’’ वह नियमों के विपरीत है एवं निरस्तनीय है। सीलिंग अधिग्रहण से भूमि की खातेदारी न्यायालय की डिक्री अथवा आवंटन से नहीं नामान्तरकरण स्वीकृत किया जा सकता है। नायब तहसीलदार को इस कार्यवाही का अधिकार नहीं है। ऐसी भूमि का हस्तान्तरण व विक्रय करना भी अनियमित है। अप्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज शिकमी काश्तकार होने व खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील की नकल पेश नहीं की है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि सम्वत 2012-2015 तक उनका आराजी पर कब्जाकाश्त रहा हो। अन्य कोई दस्तावेज भी सम्वत 2012-2015 तक की अवधि का कब्जाकाश्त बाबत पेश नहीं किया गया है। ऐसे प्रकरणों में अधिग्रहण सीलिंग सिवायचक से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया सही है परन्तु अधिसीलिंग सिवायचक दर्ज नहीं हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रेफरेंस को स्वीकार करते हुए उक्त विधि विरूद्ध हस्तान्तरण को अवैध घोषित करते हुए स्वीकृत आलोच्य नामान्तरकरण को अपास्त किए जाने बाबत यह रेफरेंस मण्डल के समक्ष पेश किया है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की रेफरेंस के संबंध में बहस सुनी।

विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अप्रार्थी के पक्ष में की गयी खातेदारी की कार्यवाही अनियमित है। उनका तर्क है कि अप्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज शिकमी काश्तकार होने व खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील की नकल पेश नहीं की है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि सम्वत 2012-2015 तक उनका आराजी पर कब्जाकाश्त रहा हो। अन्य कोई दस्तावेज

भी सम्वत 2012-2015 तक की अवधि का कब्जाकाश्त बाबत पेश नहीं किया गया है। ऐसे प्रकरणों में अधिग्रहण सीलिंग सिवायचक से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया सही है परन्तु अधिसीलिंग सिवायचक दर्ज नहीं हो सकता। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार कर प्रकरण में स्वीकृत आलोच्य नामान्तरकरण को निरस्त कर भूमि को पुनः राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने प्रश्नगत भूमि के संबंध में रेफरेंस की कार्यवाही का विरोध करते हुए आलोच्य कार्यवाही को निरस्त होने योग्य बताया है। उनका कहना है कि अधिग्रहण सीलिंग सिवायचक होने पर भूमि का स्वामित्व प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि पर आदिनांक तक काबिज काश्त दर्ज चले आ रहे है। यहीं नहीं उनके द्वारा आराजी का लगान अदा किया जा रहा है तथा भूमि पर वे आबाद भी रहे है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में रेफरेंस की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है। अन्त में उन्होंने रेफरेंस को निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

हमने योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

हमने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस पत्रावली का अवलोकन किया। जिसके अनुसार स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत भूमि खसरा संख्या 108 रकबा 4 बीघा जरिये नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 22-07-1972 के द्वारा सुमेरसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/829/2002/जयपुर सरकार बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सिवायचक बहक राजस्थान सरकार बसिलसिले सीलिंग अधिग्रहण नायब तहसीलदार द्वारा किया गया। भूमि सीलिंग से अधिग्रहण की गई है। जिसका केवल खसरा जमाबंदी में सूरख स्याही से नोट लगाया जावे। सिवायचक दर्ज नहीं होगा अंकित किया गया है। यह भूमि सीलिंग सिवायचक रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु नायब तहसीलदार ने ‘‘सिवायचक दर्ज न होने का नोट अंकित किया है’’ वह नियमों के विपरीत है एवं निरस्तनीय है। सीलिंग अधिग्रहण से भूमि की खातेदारी न्यायालय की डिक्री अथवा आवंटन से नहीं नामान्तरकरण स्वीकृत किया जा सकता है। नायब तहसीलदार को इस कार्यवाही का अधिकार नहीं है। ऐसी भूमि का हस्तान्तरण व विक्रय करना भी अनियमित है। अप्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज शिकमी काश्तकार होने व खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील की नकल पेश नहीं की है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि सम्वत 2012–2015 तक उनका आराजी पर कब्जाकाश्त रहा हो। अन्य कोई दस्तावेज भी सम्वत 2012–2015 तक की अवधि का कब्जाकाश्त बाबत पेश नहीं किया गया है। ऐसे प्रकरणों में अधिग्रहण सीलिंग सिवायचक से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया सही है परन्तु अधिसीलिंग सिवायचक दर्ज नहीं हो सकता। अतः प्रकरण का विधि के दृष्टिकोण से सम्यक परीक्षण करने के उपरान्त हम पाते है कि मामले में नायब तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 22–07–1972 विधि के प्रावधानों के विपरीत स्वीकृत किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/829/2002/जयपुर सरकार बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खसरा संख्या 108 रकबा 4 बीघा भूमि के संबंध में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 22-07-1972 को खारिज किया जाकर उक्त विवादित आराजी को पुनः राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज किए जाने की आज्ञा पारित की जाती है। निर्णय की सूचना योग्य राजकीय अधिवक्ता को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। **(विनीता श्रीवास्तव)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/829/2002/जयपुर सरकार बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए